सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-2412/MH/7/2025-RU-I **दिनांक: 23.04.2026**

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-छत्रपती शंभाजीनगर,
कलेक्टर कार्यालय,
छत्रपती शंभाजीनगर,
महाराष्ट्र-431001,
ई-मेल: collector.chsambhajinagar@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-छत्रपती शंभाजीनगर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
छत्रपती शंभाजीनगर,
महाराष्ट्र-431001,
ई-मेल: Sp-aurangabad-bih@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर जमीन हड़पने, जातिगत दुर्व्यवहार, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने तथा जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में श्री अर्जुन झिपरू सोनवणे, निवासी मौजाबाद, ग्राम-बाबरबांव, पोस्ट-पेंडापुर, तहसील-गंगापुर, जिला-छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र-431 133 का दिनांक 06.03.205 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री अर्जुन झिपरू सोनवणे,
निवासी मौजाबाद, ग्राम-बाबरबांव, पोस्ट-पेंडापुर,
तहसील- गंगापुर, जिला-छत्रपति संभाजीनगर,
महाराष्ट्र-431133

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-2412/MH/7/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर जमीन हड़पने, जातिगत दुर्व्यवहार, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने तथा जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में श्री अर्जुन जिप्रू सोनवणे, निवासी मौजाबाद, ग्राम बाबरबांव, पोस्ट पेंडापुर, तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र - 431 133 का अभ्यावदेन दिनांक 06/03/2025 के संदर्भ में दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 16.03.2026
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री अर्जुन जिप्रू सोनवाने से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 07.03.2025 के अनुसार ग्राम चापानेर, तहसील कन्नड, जिला छत्रपति संभाजीनगर स्थित ब्लॉक क्रमांक 292 की भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्ज़ा कर लिया गया है।

अभ्यावेदन के अनुसार, उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के साथ जातिगत दुर्व्यवहार, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गई है तथा इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने आयोग से अनुरोध किया है कि उक्त प्रकरण में उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा उसे न्याय दिलाया जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 05.05.2025 को जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, छत्रपति संभाजीनगर को नोटिस जारी किया गया था।

आयोग के नोटिस के क्रम में उपविभागयी अधिकारी, कन्नड से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12/3/2026 के अनुसार वर्ष 1959-60 का समूह क्रमांक 292, जिसका मूल सर क्रमांक 114 है। उक्त सर क्रमांक 114 के मूल अभिलेख की जाँच करने पर, स्थानीय नाम वाले स्तंभ में इनाम मस्जिद का अभिलेख मिलता है। साथ ही, अन्य अधिकार वाले स्तंभ में सं.एस. कुल रामराव धुला भदैत का अभिलेख मिलता है। स्वामित्व वाले स्तंभ में एस.के. गिरजीवन नाना 5 पाई 4 आने, सादु बहिरु 5 पाई 4 आने, सीताबाई लगद्या 5 पाई 4 आने का अभिलेख मिलता है और यह देखा गया है कि इसमें एक कोष्ठक है। इसके अंतर्गत, सरकार नाम का एक रिकॉर्ड है और यह देखा गया है कि संशोधन संख्या 488 द्वारा सरकार नाम में एक ब्रैकेट है। उसके

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

बाद, त्रिंबक सादु आदि 05 पाई 4 अने. कचरू गिरजाबा आदि 05 पाई 4 अने, मालीबाई सीताबाई आदि 01 पाई 4 अने, भवानी बरकु 01 पाई 4 अने, एकनाथ मारोती 01 पाई 4 अने नाम उल्लिखित है और यह देखा गया है कि उनमें एक ब्रैकेट है। इसके नीचे, सोमा चंदू आदि 05 पाई 4 आने जैसी प्रविष्टि है और इसका संशोधन क्रमांक 510 है। इसके नीचे, शिवाजी त्रिंबक 05 पाई 4 आने का उल्लेख है और इसके नीचे, तन्हाबाई बाला 05 पाई 4 आने जैसी प्रविष्टि है और यह देखा गया है कि तन्हाबाई बाला नाम के आगे कोष्ठक में संशोधन क्रमांक 1404 लिखा है। संशोधन क्रमांक 510 के अवलोकन से पता चलता है कि श्री त्रिंबक सादू, कोंड्याबाई सूरत्या, किसान हरि, गणपत नवसा, दशरथ नवसा, तोताराम बायाजी, गंगाधर बायाजी, देवराव बायाजी, पंजाबा यशवंता 1958-59 से उसी अधिनियम की धारा 2 के तहत सरकार के कब्जे में आ गए (अस्पष्ट प्रविष्टि)। रंगनाथ तुलसीराम, माणिक संपत, श्रीपत विनायक, दादा हुसेब 054 अणे, कचरू गिरजाबा जंगला बाला, रतन बोडखू 0-5-4 पी.आई. अने, मालीबाई सीताबाई, अंजनाबाई सीताबाई, जयवंताबाई सीताबाई 0-1-41 भवानी बरकू 0-1-4 अने-पाई, एकनाथ मारोती, संदू मारोती 0-1-4 सोमा चंदू, खंडू चंद्र, पांडू चंद, बंदू चंद्रा 2 14 ने रु.80=7 पर अधिभोग अधिकार की कीमत पर खंड (5) (3) शर्त के तहत छूट अधिकार प्राप्त किए जैसा टी.एच. सं. इनाम एआर 3/62 से लिया गया नोट है। साथ ही संशोधन क्रमांक 1404 में यह देखा गया है कि उत्तराधिकारी प.खा. त्र्यंबक खांडू 0-5-4, कचरू गिरजाबा 0-5-4, भवानी बरकु, एकनाथ मारोती की मृत्यु हो चुकी है और मृतक शिवाजी त्र्यंबक 054 और कचरू गिरजाबा के वारिसों का कोई बेटा, बेटी या पत्नी नहीं है, लेकिन वारिस चाची तन्हाबाई बाला हैं।

चपनेर बोर्ड अधिकारी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, जब चपनेर ग्राम समूह संख्या 292 7/12 की जाँच की गई, तो यह पाया गया कि आज आवेदन में उल्लिखित 7/12 में से, कडुबाई करभारी मोड़ क्षेत्र 0, 76 आर रेव. संख्या 4135 है और कडुबाई ज्ञानेश्वर भदैत क्षेत्र 01, 68 आर रेव. संख्या 4799 है। इसके अलावा, उक्त 7/12 के अन्य अधिकारों में, यह पाया गया कि एस. के.यू. रामराव धुला भदेत ने रेव. संख्या 4111 द्वारा उक्त गोत्र के रिकॉर्ड को कम कर दिया है। इस मामले में, समूह संख्या 292 में, सोमा चंद्र आदि के पास 5 पाई 4 आने, शिवाजी त्रिबक के पास 5 पाई 4 आने और तन्हाबाई बाला के पास 5 पाई हैं। 4. अन्य अधिकारों के साथ-साथ एस.कु. रामराव धुला भदैत का ऐसा रिकॉर्ड देखा गया है। उसके बाद, वर्ष 1987-88 से 2013-14 तक, जब उक्त 7/12 की समीक्षा की गई, तो 7/12 में, सड़क अधिग्रहण 0, 86 आर. रेव, संख्या 1094, ओकर नाधु भदेत 01, 06 आर. रेव. संख्या 1953 और 3075, कृष्णा बाई ओकर भदेत 0, 62 आर. रेव. संख्या 2989, बद्रीनारायण जयराम 01, 00 आर. रेव. संख्या 3039, आशाबैरामेशराव 0, 42 आर. रंजना अशोक 76 आर. रेव. संख्या 3794 और 3812, भगवान गोविंद 0, 40 आर. रेव. संख्या 3820, साथ ही अन्य अधिकार एस. कु. ऐसा प्रतीत होता है कि रामराव धूता भादई में ऐसा कोई रिकार्ड है।

इस कार्यालय के आदेश संख्या 2018/Mh./ROR/Appeal/CR-130 दिनांक 17/10/2022 के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर जिले के कन्नड़ तहसील के चपनेर गांव में स्थित भूमि समूह संख्या 2927 के अंतर्गत आता है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

क्रमांक 3794, 3812, 5126, 4799, 4135 और 5442 की स्थिति कन्नड़ तहसीलदार की जांच पूरी होने तक यथावत रखी गई है। मामला जांच के लिए कन्नड़ तहसीलदार को भेजा गया है। कन्नड़ तहसीलदार को सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई करनी चाहिए, सभी दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय देना चाहिए। मामले में संशोधन रद्द करने की आवश्यकता होने पर स्व-स्पष्टीकरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में एक आदेश पारित किया गया है। हालांकि, इस कार्यालय को कन्नड़ तहसीलदार से उपरोक्त आदेश के संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

सुनवाई तिथि को कार्यालय जिला कलेक्टर -छत्रपति संभाजी नगर के प्रतिनिधि श्री संतोष गोराड, उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय पुलिस आयुक्त के प्रतिनिधि श्री अपराजिता अग्निहोत्री, सहायक पुलिस आयुक्त एवं याचिकाकर्ता उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान उपस्थित कार्यालय जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि 7/12 अभिलेखों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि गट क्रमांक 292 की वर्तमान स्वामित्व प्रविष्टियाँ क्रय के माध्यम से की गई हैं तथा उक्त भूमि को आदिवासी भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कुछ व्यक्तियों के नाम 7/12 अभिलेख में दर्ज पाए गए हैं, जबकि अन्य नाम वर्तमान में दर्ज नहीं हैं। उक्त भूमि में विभिन्न अवधियों में कई फेरफार प्रविष्टियाँ (जैसे 3794, 3812, 5126, 4799, 4135, 5442 आदि) क्रय-विक्रय के माध्यम से की गई हैं, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमि आदिवासी भूमि है अथवा नहीं तथा यदि है, तो हस्तांतरण के समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई थी या नहीं, जिसकी अर्धन्यायिक जांच आवश्यक है।

अभिलेखों के अनुसार, मूल रूप से भूमि "इनाम" प्रकृति की रही है तथा विभिन्न व्यक्तियों के नाम समय-समय पर दर्ज हुए हैं। याचिकाकर्ता की माता के नाम पर भी वारसा के आधार पर प्रविष्टि दर्ज होने के तथ्य सामने आए हैं। साथ ही, वर्ष 2018 में दायर अपील के संबंध में दिनांक 17.10.2022 को आदेश पारित कर संबंधित फेरफार प्रविष्टियों की स्थिति यथावत रखते हुए तहसीलदार, कन्नड को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु अब तक उक्त प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अभी तक आयोग से प्रकरण का संदर्भ प्राप्त होने पर उपरोक्त सभी तथ्यों के साथ-साथ 7/12 और पुनरीक्षण याचिका की जांच करने पर निम्न तथ्य भी पाये गये है।

1) यह पाया गया कि उक्त समूह में आज स्वामित्व अधिकार में दर्ज नाम खरीद के दिन से ही मौजूद हैं। साथ ही. उक्त समूह प्रथम श्रेणी की भूमि स्वामित्य श्रेणी का है और इस पर कहीं भी आदिवासी भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक द्वारा उल्लिखित नामों में से, कड्डुबाई करभारी मोड़, क्षेत्र ० (पुनरीक्षण संख्या 4135) और कडूबाई ज्ञानेश्वर भदैत (क्षेत्र (01) (पुनरीक्षण संख्या 68) 7/12 में दर्ज हैं। अन्य नाम आज 7/12 में दर्ज नहीं हैं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2) लेकिन जब 1959-60 के सर्वेक्षण संख्या 114 (अब समूह संख्या 292) की जांच की जाती है, तो इसे लिखित रिपोर्ट में सतबारा खिदमत इनाम के रूप में दर्ज किया गया है और उक्त भूमि तत्कालीन स्वामी को संशोधन संख्या 510 के साथ आवंटित की गई है।

3) शिकायतकर्ता की माता कडुबाई जिप्रू को उक्त भूमि अपनी दादी तन्हाबाई बाला सोनावाने से विरासत में मिली थी, जिनका निधन हो गया था, और विरासत संशोधन संख्या 3608 के अनुसार, उनका नाम दर्ज है।

4) आवेदक द्वारा समूह संख्या 292 के संशोधन संख्या 3794, 3812, 5126, 4799, 4135, 5442 के साथ पुनः अनुमोदन के विरुद्ध इस कार्यालय में दायर की गई शिकायत को अपील संख्या 2018/महा/आरओआर/अपील/सीआर-130 में दिनांक 17/10/2022 को पारित आदेश के अनुसार कन्नड़ तहसीलदार को आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5) उक्त मामला अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है और कन्नड़ तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संशोधन संख्या 3794, 3812, 5126, 4799, 4135, 5442 को रद्द करने या न करने पर सुनवाई होगी और गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित किया जाएगा। चूंकि उक्त मामला अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है, इस मामले में सुनवाई आवश्यक है और इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं माननीय आयोग द्वारा की गई हैं :

1. आयोग यह अनुशंसा करता है कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, छत्रपति संभाजीनगर लंबित प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से विस्तृत जांच पूर्ण कर संबंधित फेरफार प्रविष्टियों के संबंध में स्पष्ट एवं कारणयुक्त प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। इस प्रकरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि लंबित कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न हो तथा याचिकाकर्ता को समयबद्ध न्याय प्राप्त हो सके।
2. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि प्रकरण में दर्ज समस्त फेरफार प्रविष्टियों (विशेषकर क्रमांक 3794, 3812, 5126, 4799, 4135, 5442) की अर्धन्यायिक जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त प्रविष्टियाँ विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार की गई है ।
3. आयोग यह अनुशंसा करता है कि जनजाति पुनर्वास/भूमि पुनर्स्थापन विभाग (Tribal Restoration Department) को भी इस प्रकरण में सम्मिलित कर उनसे स्वतंत्र एवं विस्तृत जांच कराई जाए, ताकि आदिवासी भूमि से संबंधित किसी भी संभावित अवैध हस्तांतरण या अधिकार हनन की निष्पक्ष समीक्षा की जा सके।
4. यह अनुशंसा की जाती है कि सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा अंतिम आदेश पारित कर उसकी प्रति आयोग को प्रेषित की जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. अंततः, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रकरण के निस्तारण के दौरान याचिकाकर्ता के वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा की जाए तथा यदि किसी प्रकार का अवैध कब्जा या अन्याय पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

6. आयोग यह अनुशंसा करता है कि प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत जांच करते हुए अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ आवश्यकतानुसार प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-2412/MH/7/2025-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर जमीन हड़पने, जातिगत दुर्व्यवहार, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने तथा जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में श्री अर्जुन झिपरू सोनवणे, निवासी मौजाबाद, ग्राम-बाबरबांव, पोस्ट-पेंडापुर, तहसील- गंगापुर, जिला-छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र- 431133 का दिनांक 06.03.205 का अभ्यावेदन आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट, जिला-छत्रपती शंभाजीनगर, महाराष्ट्र-431001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	संतोष गोराड	SDM Kannad	8007197272	
2.				
3.				
4.				

पुलिस अधीक्षक, जिला-छत्रपती शंभाजीनगर, महाराष्ट्र-431001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	अपराजिता अग्निहोत्री	ASP Kannad	9971001498	
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	अर्जुन झिपरू सोनवणे			
2.	मंगेश नामदेव गायकवाड			
3.				
4.				